सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय

Ministry of Finance

श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री द्वारा राज्य सभा में वक्तव्य वित्त मंत्रालय से संबधित वित्त संबंधी स्थायी समिति की 73वीं तथा 79वीं (2008-09) रिपोर्ट, 14वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में

STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE RAJYA SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS - 73RD & 79TH REPORTS OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2008-09), 14TH LOK SABHA RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE

दिसम्बर, 2009

DECEMBER, 2009

विषय-सूची		INDEX	
क्रम संख्या विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या	Sl No. Contents	Page No.
1. श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i-ii	1. Statement by Shri Pranab Mukherjee, Minister of Finance	i-ii
2. अनुबंध-I वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य वित्तीय सेवा, व्यय तथा विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों के सबंध में 18 दिसम्बर, 2008 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त संबंधी स्थायी समिति की 73वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।	1-10	2. Annex-I Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 73rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2008-09 of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 18th December, 2008.	15-23
3. अनुबंध-II जाली मुद्रा नोटों के संचलन के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 18 दिसम्बर, 2008 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत 79वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।	11-13	3. Annex-II Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 79th Report of the Standing Committee on Finance on 'Counterfeit Currency Notes in Circulation' presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 18th December, 2008.	25-27

आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) और जाली मुद्रा नोटों के संचलन से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 73वीं तथा 79वीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 के राज्य सभा बुलेटिन, भाग-II के तहत माननीय सभापति, राज्य सभा के निर्देश 32 के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति की आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवा और विनिवेश विभागों से संबंधित 73वीं तथा 79वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देने को अपना सौभाग्य मानता हूँ ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) की 73वीं तथा 79वीं रिपोर्ट **18 दिसम्बर, 2008** को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई।

73वीं रिपोर्ट अनुदानों की मांगों (2008-09) की जांच से संबंधित है। समिति ने रिपोर्ट में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है और सात (7) सिफारिशें कीं। ये सिफारिशें मुख्यतया भारतीय विकास संबंधी आर्थिक सहायता के लिए बजट प्रावधान, "बजट सार" में दर्शित सूचना में व्यवहार्य अन्तराल, सेबी द्वारा विहित सूचीयन करार के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, कृषि ऋण

STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE RAJYA SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 73rd & 79th REPORTS OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (14th LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2008-09) & COUNTERFEIT CURRENCY NOTES IN CIRCULATION RELATING TO THE DEPARTMENTS OF ECONOMIC AFFAIRS, FINANCIAL SERVICES, EXPENDITURE & DISINVESTMENT

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 73rd and 79th Report pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Disinvestment of the Standing Committee on Finance (14th Lok Sabha) in pursuance of Direction 32 of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha *vide* Rajya Sabha Bulletin, Part II dated 28th September 2004.

The 73rd and 79th Report of the Standing Committee on Finance (14th Lok Sabha) were laid in Rajya Sabha on **18th December, 2008**.

The 73rd Report relates to examination of Demands for Grants (2008-09). In the Report, the Committee deliberated on various issues and made seven (7) recommendations. These recommendations mainly pertain to the issues relating to the budget provisions for Indian Development Economic Assistance, Viability Gap Funding, display of information in "Budget at a

लक्ष्यों में गिरावट, एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस); वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सुविधा आदि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं । 79वीं रिपोर्ट जाली मुद्रा नोटों के संचलन से संबंधित है। समिति ने रिपोर्ट में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है और दस (10) सिफारिशें कीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है। ये सिफारिशें मुख्यतया देश में जाली मुद्रा के संचलन की गंभीरता और महत्ता से संबंधित है । बैंकिंग प्रणाली के जरिए प्राप्त जाली नोटों के आंकड़ों के संबंध में सूचना देने का प्रारूप, सीमा-पार से जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) का प्रादुर्भाव, प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा जब्त 1996 और 2000 श्रृंखला के एफआईसीएन; भारतीय स्टेट बैंक की डुमरियागंज शाखा में लगभग 4.01 करोड़ रूपए के एफआरईसीएन होने की जानकारी प्राप्त करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली को वापस प्राप्त हो रहे फटे-पुराने नोटों और जारी किए जा रहे नोटों की संख्या में अंतर, अज्ञानतावश एफआईसीएन रखने वाले निर्दोष आदमी के संरक्षण के लिए मौजूदा कठोर दंड के प्रावधान में सुधार, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए अनन्यता करार का वास्तविक रूप से उल्लंघन होने की स्थिति में प्रतिभूति कागज के उत्पादन आदि के लिए संयुक्त उपक्रम कागज मिल की स्थापना जैसे मुद्दों से संबंधित है।

रिपोर्टों में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी विवरणियां क्रमशः 17 अप्रैल, 2009 तथा 26 मार्च, 2009 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थीं । समिति द्वारा 73वीं तथा 79वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्रमशः अनुबंध-I तथा **अनुबंध-II** में निर्दिष्ट है।

मैं अनुबंधों की विषय-वस्तु को पढ़कर सुनाने में सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए ।

Glance", appointment of independent directors in the Board of PSUs in the context of the listing agreement prescribed by SEBI, shortfall in agricultural lending targets, One Time Settlement Scheme (OTS), The Real Time Gross Settlement (RTGS)/National Electronic Fund Transfer (NEFT) facility, etc. The 79th Report relates to Counterfeit Currency Notes in Circulation. In the Report, the Committee deliberated on various issues and made ten (10) recommendations, where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to issues of the gravity and magnitude of the menace of circulation of fake currency in the country, format of reporting of figures of fake notes recovered through the banking system, origins of Fake Indian Currency Notes (FICN) from across the borders, 1996 and 2000 series FICNs seized by the enforcement agencies, detection of FICNs at Domariaganj Branch of SBI valued at about 4.01 crore, augmentation of enforcement efforts by RBI, difference between the number of soiled notes that are coming back to the RBI system and the number of new notes that are being issued, modification of the existing stringent penal provision to protect innocent common man who carries FICN unknowingly, if any breach of exclusivity agreement executed by the suppliers is actually occurring, setting up of a Joint Venture Paper Mill for production of security paper etc.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the 73rd and 79th Reports had been sent to the Standing Committee on Finance on 17th April, 2009 and 26th March, 2009 respectively**.** Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 73rd and 79th Reports is indicated in **Annex-I** and **Annex-II** respectively.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexes. I would request that these may be taken as read.

अनुबंध-I

18 दिसंबर, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा में रखी गई (वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) की **वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति की 73वीं रिपोर्ट** में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1	7	**वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने स्पष्ट किया है कि "भारतीय विकास आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज)" के अंतर्गत बजटीय आवंटन का अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रायः संतोषजनक उपयोग नहीं किया जाता है। यह पाया गया है कि आइडियाज के अंतर्गत कार्यकलापों के लिए बजटीय आवंटन अंतरराष्ट्रीय दायित्व निभाने और उन वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए है। यह स्पष्ट नहीं है कि वे कौन-सी अप्रत्याशित परिस्थितियां थीं जिनके कारण अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताएं पूरी करने के लिए रखी गई निधियों का कम उपयोग हुआ था। यह समिति इस बारे में ब्यौरे की प्रतीक्षा करेगी।**	"भारतीय विकास आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज)" विदेश में भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों के संवर्धन का प्रयास करती है। उद्देश्य यह है कि निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्रवाइयां आइडियाज के अंतर्गत की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी (i) एचआईपीसी (अत्यधिक ऋणग्रस्त गरीब देश) के पिछले ऋणों को बट्टे खाते डालना; (ii) उधार देने वाले अभिकरणों के माध्यम से ऋण की रियायती श्रृंखलाएं उपलब्ध कराना; (iii) अन्य दाताओं, सरकारी एवं बहुपक्षीय निधिपोषण संस्थाओं के साथ कार्य करना; (iv) क्षेत्रीय और देशगत कार्य योजनाएं बनाना; (v) परियोजना तैयारी हेतु सहायता देना; (vi) परियोजना प्रशिक्षण। लेकिन, चूंकि अभी तक आइडियाज का कार्यान्वयन सिर्फ दूसरे देशों को भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखलाएं मुहैया कराने के लिए ही हुआ है (ऊपर मद (ii)) और इसे अब तक पूर्णतया प्रचालित नहीं किया गया है, इसीलिए, बजट में आवंटित राशि पूर्णतया उपयोग में नहीं लाई जा सकी।	स्वीकृत	
2.	8	**समिति अर्थक्षमता अंतर के वित्तपोषण की वर्तमान स्थिति और 2007-08 के दौरान स्कीम के लिए बजट आबंटनों के उपयोग की मात्रा के बारे में जानना चाहेगी। समिति उल्लेख करती है कि**	अर्थक्षमता अंतर निधिकरण (वीजीएफ) स्कीम सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजना को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु एक सक्षम स्कीम है। अर्थक्षमता अंतर निधिकरण को परियोजना की इक्विटी सहायता के रूप में संवितरित किया जाता है। किसी पीपीपी परियोजना में	यह केवल व्याख्या के लिए तथ्यों का विवरण है।	

<table>
<tr><th>क. सं.</th><th>सिफारिश/ पैरा सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं</th><th>अभ्युक्तियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट अनुमान वास्तविक तथा ठोस आधार पर हों, सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।</td><td>निवेशित होने वाली सरकारी निधियों की सुरक्षा हेतु परियोजना के वित्तीय समापन के बाद और परियोजना पर प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी के पूरी तरह से विस्तार के बाद अग्रणी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण के आनुपातिक संवितरण में निधियां जारी की जाती हैं।

उन अनुमोदित परियोजनाओं पर बजट अनुमान तैयार किए गए थे जिन्हें "सैद्धान्तिक " अनुमोदन दिया गया था। तथापि, स्कीम के नए होने के कारण प्रायोजक प्राधिकरणों के पास स्कीम को कार्यान्वित करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। वे पीपीपी ढांचे में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रति भी अनभिज्ञ थे। अतः आर्थिक कार्य विभाग द्वारा "सैद्धान्तिक" अनुमोदन प्रदान करने के बावजूद भी परियोजना प्राधिकरणों द्वारा बोली की प्रक्रिया को पूरा करने में विलम्ब हुए थे। बाद में परियोजनाओं की पुनरीक्षा की गई और तदनुसार संशोधित अनुमानों को घटाया गया था।

2007-2008 के दौरान, स्कीम के अन्तर्गत प्रावधान उन परियोजनाओं के लिए किए गए थे जो बोलियों की अग्रिम अवस्था में थी और संभावित अर्थक्षमता अन्तर के निधिकरण की आवश्यकता के संबंध में प्रायोजक प्राधिकरणों से परामर्श लिया गया था। तथापि, बोली की प्रक्रिया के पूरा होने पर छः परियोजनाओं को "नकारात्मक अनुदान/राजस्व हिस्सा " प्राप्त हुआ था और उन परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता अन्तर के निधिकरण की जरूरत नहीं थी। तदनुसार, प्रावधानों को संशोधित अनुमानों की अवस्था पर संशोधित किया गया था। अर्थक्षमता अंतर के निधिकरण का संवितरण निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए)<table><tr><th>वित्त वर्ष</th><th>बजट अनुमान</th><th>संशोधित अनुमान</th><th>संवितरण</th></tr><tr><td>2007-08</td><td>100.00</td><td>23.00</td><td>23.00</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
3	10	**'बजट सार' में प्रदर्शित सूचना बजट में दर्शाए गए राजकोषीय और राजस्व घाटों के आंकड़ों की खामियां सही नहीं है। समिति का मानना है कि वित्त आयोग जो केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्त अंतरण से संबंधित है, को केन्द्र के बजट में घाटों को कैसे दर्शाया जाए, से कुछ नहीं लेना-देना होता। अतः समिति इस बात पर जोर देती है कि वित्त सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन और समिति की सिफारिश के अनुरूप, सब्सिडियों के बदले जारी की गई प्रतिभूतियों के मद्देनजर राजकोषीय और राजस्व घाटों को बजट में उचित रूप से दर्शाने के लिए अविलम्ब कार्यवाई की जानी चाहिए ।**	राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे की गणना की वर्तमान पद्धति में, बजट में शामिल न की जाने वाली मदें जैसे पेट्रोल, तेल, उर्वरक आदि पर सब्सिडियों के कारण तेल विपणन एवं, उर्वरक कंपनियों आदि को जारी बॉड/प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं। तथापि, तेल, खाद्य और उर्वरक बॉडों की देयताओं को वित्तीय लेखों में लाने संबंधी विषय को तेरहवें वित्त आयोग को अतिरिक्त विचारार्थ विषय के रूप में यह कहते हुए सौंपा गया है कि-"तेल, खाद्य और उर्वरक बांडों के कारण केन्द्र सरकार की देयताओं को राजकोषीय लेखों में लाने की आवश्यकता और घाटा लक्ष्यों संबंधी केन्द्र सरकार के विभिन्न अन्य दायित्वों के प्रभाव को देखते हुए, आयोग राजकोषीय समायोजनों की कार्य योजना की समीक्षा करे और 2010-2015 के लिए राजकोषीय समेकन के लाभों को बनाए रखने की दृष्टि से एक उपयुक्त संशोधित कार्य योजना सुझाए।" चूंकि राजस्व और राजकोषीय घाटों के भाग के रूप में बॉडों/प्रतिभूतियों की गणना के प्रस्ताव के लिए पर्याप्त राजकोषीय समायोजन आवश्यक हैं और इस विषय को पहले ही तेरहवें वित्त आयोग को सौंप दिया गया है, अतः वित्त संबंधी स्थाई समिति ने सरकार द्वारा इस विषय संबंधी उचित सुधारात्मक उपायों के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने और उन पर कार्रवाई करने तक समयानुसार विचार करने का अनुरोध किया है।	इससे संबंधित निर्णय लंबित है, और इस विषय से संबंधित उपयुक्त सुधारात्मक उपायों के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और इसके बाद सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने की प्रतिक्षा है।	तेरहवें वित्त आयोग से सिफारिशों की प्राप्ति होने पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से स्थाई समिति को अवगत करा दिया जाएगा।
4	13	**आर्थिक कार्य विभाग ने लोक उद्यम विभाग से यह पता लगाने की कोशिश नहीं की है कि क्या अनुशंसित समीक्षा की गई है तथा यदि की गई है तो उसका क्या परिणाम रहा। ये मामले ऐसे हैं जिनपर विभाग को स्वप्रेरणा से कार्रवाई करनी चाहिए तथा दो माह के भीतर समिति को अवगत कराने के लिए सक्रिय होना चाहिए। चूंकि सरकारी**	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को शासित करने वाली विद्यमान प्रक्रिया की समीक्षा लोक उद्यम विभाग द्वारा की गई है। परिणामस्वरूप, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर खोज समिति द्वारा त्वरित विचार किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के मंडलों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों के आशोधन हेतु एक टिप्पणी तैयार की गई है तथा 24.06.2008 से लोक उद्यम विभाग के विचाराधीन है। एनटीपीसी, नालको, गेल, आईओसी एवं ओएनजीसी के	हां	

<table>
<tr><th>क. सं.</th><th>सिफारिश/
पैरा सं.</th><th>सिफारिश</th><th>सरकार द्वारा की गई कार्रवाई</th><th>सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं</th><th>अभ्युक्तियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा सी एवं एजी, सीवीसी, सीबीआई, तथा साथ ही संसदीय समितियों द्वारा भी की जाती है, स्वतंत्र निदेशकों, उनकी आवश्यकता, भूमिका, सक्षमता तथा व्यावसायिकता को परिभाषित किया जाना आवश्यक है।</td><td>मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रास्थिति निम्न प्रकार है :-
एनटीपीसी, नालको, गेल तथा ओएनजीसी के मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रास्थिति
<table>
<tr><th>सीपीएसई के नाम</th><th>अपेक्षित गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या</th><th>पद धारित किए हुए गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>एनटीपीसी</td><td>9</td><td>9</td><td>-</td></tr>
<tr><td>नालको</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td></tr>
<tr><td>गेल</td><td>7</td><td>5</td><td>शेष 2 रिक्तियों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रतीक्षित है।</td></tr>
<tr><td>आईओसी</td><td>10</td><td>6</td><td>खोज समिति ने 26.2.2009 को 2 नामों की अनुशंसा की थी। शेष 2 रिक्तियों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रतीक्षित है।</td></tr>
<tr><td>ओएनजीसी</td><td>9</td><td>4</td><td>शेष 5 रिक्तियों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रतीक्षित है।</td></tr>
</table></td><td>हां</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>16</td><td>समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि वर्ष 2007-08 के दौरान कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में 21,818 करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट थी। उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए किसी</td><td>शुक्रवार मार्च 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के समग्र लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40% अथवा तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर की राशि के बराबर ऋणज् को प्राप्त न करने</td><td>हां</td><td>आवश्यक</td></tr>
</table>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		प्रभावी प्रणाली की परिकल्पना की गई है कि कृषि क्षेत्र और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की प्रतिशतता का लक्ष्य पूरा हो। जिन चार अतिरिक्त कोषों का गठन किया जाना प्रस्तावित है, उनकी कुल धनराशि मात्र 10,200 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित है जो कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले ऋण में गिरावट के आधे से भी कम है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने के बाद भी कि बैंक के लिए ऐसे कोष में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण में गिरावट की कुल धनराशि जमा करना आवश्यक होगा, 12,456 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि शामिल नहीं होगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रस्तावित कोष का गठन किया जा चुका है और यदि नहीं, तो इसे कब तक गठित कर दिया जाएगा। अपर्याप्त बैंक ऋण धीमी और सुस्त कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण कारण होने के कारण समिति यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता दोहराती है कि ऋण का लक्षित प्रतिशत कृषि और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए दिया जाए।	के कारण घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल कमी की राशि 718.28 करोड़ रुपए है और प्राथमिकता क्षेत्र की कमी को समायोजित करने के बाद कृषि ऋण का लक्ष्य (एएनबीसी का 18%) प्राप्त न करने के कारण कमी की राशि 21,818.27 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार, शुक्रवार मार्च 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के लक्ष्य/उप-लक्ष्यों की प्राप्ति में विदेशी बैंकों की कमी की राशि लगभग 120.16 करोड़ रुपए बैठती है। अतः, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल कमी की राशि 22,656.71 करोड़ रुपए बैठती है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लगभग 22,600 करोड़ रुपए की कुल कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संसाधनों से उस सीमा तक चार निधियों का गठन किया है, जिस सीमा तक प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने संबंधी उनके दायित्वों की पूर्ति में कमी है। ये चार निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास 5,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कारपस के साथ अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) निधि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास 4,600 करोड़ रुपए (3,600 करोड़ रुपए पुनर्वित्त निधि और 1,000 करोड़ रुपए जोखिम पूंजी निधि) के साथ सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) निधियां तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के पास 2,000 करोड़ रुपए के साथ ग्रामीण आवास विकास निधि (आरएचडीएफ) हैं। ये निधियां 14,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) तथा भारत निर्माण ग्रामीण सड़क संघटक के लिए 4,000 करोड़ रुपए के कारपसों अर्थात आरआईडीएफ के एक अलग विण्डो के अतिरिक्त गठित की गई हैं। इस प्रकार, वर्ष 2008-09 के लिए इन बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र/कृषि क्षेत्र ऋणों के लक्ष्यों में कमी की राशि से कुल 29,600 करोड़ रुपए आहरित किए जाने हैं जबकि इस शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक कमी की राशि केवल 22,656.71 करोड़ रुपए है। सरकार का इरादा है कि आरआईडीएफ, एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि, एमएसएमई (जोखिम पूंजी) निधि और आरएचडीएफ के लिए किए गए आबंटन में		कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			इस कमी को वर्ष 2008-09 में बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र/कृषि क्षेत्र ऋणों के लक्ष्यों में कमी से अतिरिक्त राशि आबंटित करके पूरा किया जाएगा। अतः, वर्ष 2008-09 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता/कृषि ऋणों के लक्ष्यों के तहत कमी की कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है। कृषि को अपर्याप्त ऋण के प्रवाह के मुद्दे के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि 18 जून, 2004 को, सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरित की गई राशि की तुलना में वर्ष 2004-05 से शुरु होने वाले तीन वर्षों की अवधि में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण के प्रवाह को दोगुना करने के पैकेज की घोषणा की थी। यह लक्ष्य दो वर्षों में प्राप्त कर लिया गया था। कृषि ऋण संवितरण में लगभग तीन गुना की वृद्धि हुई जो वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 2,43,570 करोड़ रुपए हो गया। सभी बैंकों द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए कृषि ऋण के प्रवाह का लक्ष्य 2,80,000 करोड़ रुपए था। इसके मुकाबले, वर्ष के दौरान कुल 2,87,149 करोड़ रुपए (आंकड़े अनंतिम) संवितरित किए गए थे।		
6	19	**समिति खेद के साथ नोट करती है कि उनके द्वारा अव्यवहार्य/रुग्ण मध्यम, छोटे तथा अति लघु उद्यमों को वनटाइम सेटलमेंट स्कीम की सुविधा अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिए जाने की सिफारिश के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बदली हुई परिस्थितियों में इन एककों की पूर्ण सफलता के लिए समिति महसूस करती है कि ओटीएस सुविधा को आगे पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है। अतः समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है। रुग्ण एसएसआई/एसएमआई एककों के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉ. के. सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में नियुक्त**	चक्रवर्ती समिति ने एमएसएमई क्षेत्र में संभावित रुप से अर्थक्षम रुग्ण एककों के पुनर्वास से संबंधित कुछ सिफारिशें की थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सिफारिशों की जांच करने के बाद इन्हें उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी पणधारियों को भेज दिया। वित्तीय सेवाएं विभाग ने भी सभी पणधारियों अर्थात संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों तथा भारतीय बैंक संघ से चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट में निहित उनसे संबंधित सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कहा है।जहां तक एकबारगी निपटान योजना का संबंध है, जो कि समिति की सिफारिशों में से एक है, मामला भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुपयोज्य ऋणों के निपटान संबंधी कोई भी नीति आवश्यक रुप से प्रबंधकों का कार्य है, जिसे अलग-अलग बैंकों द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर	कालम 4 में दिए गए अनुसार चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों पर सरकार ने उपर्युक्त कार्रवाई की है।	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		की गई समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर सरकार/रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई से भी समिति अवगत होना चाहेगी।	लागू किया जाना है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसई क्षेत्र के लिए इस संबंध में पारदर्शक नीति अपनाए जाने की आवश्यकता के महत्व पर जोर दिया है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई, 2009 के परिपत्र संख्या आरपीसीडी.एसएमई तथा एनएफएस.बीसी.102/ 06.04.01/2008-09 द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि एमएसई ऋणकर्ताओं के लिए अपने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित अभेदमूलक एकबारगी निपटान की नीति लागू करें। भारतीय रिजर्व बैंक की राय है कि इससे बैंक अधिकारी एकबारगी निपटान के संबंध में शीघ्र एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले पाएंगे।		
7	22	**वित्त मंत्रालय के उत्तर से यह देखा गया है कि तत्काल सकल भुगतान प्रणाली/निवल इलेक्ट्रॉनिकी निधि अंतरण सुविधा की परिधि से बैंकों की लगभग 27,000 शाखाओं को बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, संचार की कमी, आरटीजीएस/एनईएफटी आदि में भागीदार बनने के लिए कुछ शाखाओं के पात्र नहीं होने के कारण अभी भी बाहर रखा गया है। बैंकों की सभी शाखाओं में आरटीजीएस/एनईएफटी की सुविधाओं की कमी की वजह से शेयर बाजार और बैंकों की निपटान प्रणाली के तालमेल में समस्या पैदा होती है जिसे शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के संकट को बढ़ाने में मुख्य कारक बताया गया है। अतः, समिति इस संबंध में जानना चाहती है कि बैंकों की कितनी शाखाओं के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है और उनमें से कितनी शाखाएं आरटीजीएस/ एनईएफटी में भागीदार बनने के लिए पात्र नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं। समिति यह भी जानना चाहती है कि जो शाखाएं**	भारतीय रिजर्व बैंक ने निधियों के शीघ्र परिचालन के लिए मूलभूत सुविधाएं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तैयार किया है। तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण अदायगियों के लिए मंच प्रदान करती है, जबकि राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली फुटकर अंतरणों के लिए मंच प्रदान करती है। इस समय जब मूलभूत आवश्यक सुविधाएं पूर्ण रूप से तैयार हैं और शाखाओं की कारोबार अपेक्षाओं में आरटीजीएस/एनईएफटी से सम्बद्धता की मांग होने पर बैंक आरटीजीएस/एनईएफटी नेटवर्क से शाखाओं को जोड़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा शाखाओं के जोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अपितु, आरबीआई बैंकों को अपनी सभी शाखाओं तथा सभी ग्राहकों के आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा का विस्तार करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। इसके परिणामस्वरुप, अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार 58,000 से अधिक बैंक शाखाएं आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा की पात्र हो गई है। पूरे देश में इस 58,000 बैंक इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अदायगी मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के अंतर्गत अब 1000 से अधिक महत्वपूर्ण केन्द्रों को कवर किया गया है। ऐसे सभी केन्द्र जहां पूंजी बाजार संबंधी लेन-देन सक्रिय हैं वे आरटीजीएस/एनईएफटी दोनों से सम्बद्ध है। अधिकतर एकांत और दूर-दराज स्थानों से सम्बद्ध लगभग 10,500 बैंक शाखाएं अब तक इस नेटवर्क से सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसे स्थानों से होने वाले वित्तीय लेन-देन का वित्तीय बाजार पर	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		इसके लिए पात्र हैं, और जिनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा भी है, उन्हें आरटीजीएस/ एनईएफटी सुविधा कब तक दे दी जाएगी।	प्रणालीगत प्रभाव नहीं है। इस प्रकार स्टॉक मार्केट की अस्थिरता आरटीजीएस/एनईएफटी की कुछ शाखाओं के साथ संबद्ध न होने से किसी प्रकार का परस्पर संबंध नहीं हो सकता है। आरबीआई ने, अपने विनियमित अस्तित्वों को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से निपटाए जाने के लिए 10 लाख रु. तथा इससे अधिक के लेन-देन को आरबीआई की विनियमित मार्केट के माध्यम से विनियमित करने की सलाह देते हुए जून, 2008 में एक अधिदेश जारी किया था। सेबी तथा आईआरडीए उनके द्वारा विनियमित मार्केट में इसी प्रकार के कदम उठाए जाने के लिए उप गवर्नर स्तर पर संपर्क कर रही थी। इस प्रकार का अधिदेश प्रणालीबद्ध मामलों का अवश्य ही समाधान करेगा। आरटीजीएस/इनईएफटी के विस्तार में समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। जुलाई 2008 की तुलना में 9,500 बैंक शाखाएं राष्ट्रीय अदायगी नेटवर्क से जोड़ी गई है। तथापि, बैंकों द्वारा अदायगियों के नेटवर्क्स के लिए शाखाओं को बढ़ाना, बैंक द्वारा कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) के विस्तार के विषय में आवश्यक है। कुछ बैंकों ने सीबीएस के कार्यान्वयन को पूरा कर लिया है तथा इसलिए ऐसे बैंकों की सभी शाखाएं आरटीजीएस/एनईएफटी लेन-देन के लिए पात्र हो गई हैं। कुछ बैंक कोर बैंकिंग सोल्युशन का कर्यान्वयन कर रहें हैं तथा जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस/एनईएफटी के पात्र हो जाएंगे। आगे यह भी देखा गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लगभग 58,000 बैंक शाखाओं में से इस समय 47,500 बैंक शाखाएं आरटीजीएस/एनईएफटी की पात्र हैं। फरवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार, यह आंकड़ा 43,000 था। अतः पिछले छः महीनों के दौरान लगभग 4,500 शाखाएं आरटीजीएस/ एनईएफटी नेटवर्क से जोड़ी गई है। आरटीजीएस/एनईएफटी की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पात्र शाखाओं की तुलना में शाखाओं की बैंक-वार कुल संख्या **संलग्न** हैं। अब तक सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों को आरटीजीएस/एन ईएफटी में शामिल होने की अनुमति थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब आरटीजीआई/ एनईएफटी में शामिल होने के लिए कुछ वित्तीय मानदंडों को पूरा करने वाले सभी बैंकों को अनुमति देने के लिए नई पहुंच मानदंड		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			निर्धारित किया है। अतः अब सभी बैंक चाहे वे अनुसूचित हैं अथवा गैर-अनुसूचित हैं, लाइसेंसधारी है या गैर लाइसेंसधारी है, बड़े हैं या छोटे हैं, राज्य सहकारी है या शहरी सहकारी हैं, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरटीजीएस/एनईएफटी में शामिल होने के लिए पात्र हैं।भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी आरटीजीएस सदस्य बैंकों को निम्नलिखित की सलाह देते हुए एक परिपत्र भी जारी किया हैः (क) उनके सभी शाखा नेटवर्क को आरटीजीएस संपन्न बनाने(ख) उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्राहकों को आरटीजीएस सुविधा प्रदान करने की सम्भावनाओं का पता लगाना। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहलों के कारण, काफी संख्या में बैंकों ने उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीबीएस सुविधा देना शुरु कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक काफी आशावान है कि आरआरबी शीघ्र ही राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के अंतर्गत कवर कर लिया जाएगा। अंतिम उपयोगकर्ता और बैंकों में जागरुकता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैक ने आरटीजीएस और एनईएफटी पर पर्चा तैयार किया है और विस्तृत परिचालन किया है और साथ ही आम नागरिक की जागरुकता के लिए अपने वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया है। भारतीय रिजर्व बैक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी निदेशकों के साथ तिमाही विचार विमर्श भी आयोजित करता है।		

बिन्दु सं. 22 से संबंधित कृत कार्रवाई के उत्तर का अनुबंध

बैंक-बार शाखाओं की कुल संख्या और आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा प्राप्त शाखाएं

क्र.सं.	बैंक का नाम	आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा प्राप्त शाखाएं	कुल शाखाएं
1.	इलाहाबाद बैंक	887	2299
2.	आंध्रा बैंक	804	1460
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2170	3159
4.	बैंक ऑफ इंडिया	3018	3060
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	707	1489
6.	केनरा बैंक	2827	2897
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1345	3563
8.	कारपोरेशन बैंक	1063	1063
9.	देना बैंक	855	1273
10.	इंडियन बैंक	1607	1783
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1909	2038
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1485	1485
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	205	918
14.	पंजाब नैशनल बैंक	4482	4603
15.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	855	921
16.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1050	1050
17.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11905	12371
18.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	475	475
19.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	685	685
20.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	847	847
21.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	736	748
22.	सिंडिकेट बैंक	2062	2386
23.	यूको बैंक	690	2161
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2782	2782
25.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	1042	1531
26.	विजया बैंक	1156	1156
	कुल	**47649**	**58173**

अनुबंध-II

जाली मुद्रा नोटों के संचलन के संबंध में वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति की 18 दिसम्बर, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत/18 दिसम्बर, 2008 को राज्य सभा में रखी गई 79वीं रिपोर्ट में निहित अनुशंसाओं/टिप्पणियों पर की सिफारिशों/अवलोकनों की कार्रवाई रिपोर्ट दर्शाने वाला विवरण

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	72	**जाली करेंसी नोटों के संचलन की समस्या की गंभीरता और परिणाम को देखते हुए सरकार समिति से आग्रह करती कि वह इस वास्तविकता का पता लगाए और इस बढ़ते हुए संकट से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई करे।**	सरकार समिति को आश्वस्त करना चाहती कि इस बढ़ते हुए संकट का सामना करने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी।	हां	
2.	73	**डूमरियागंज शाखा (उत्तर प्रदेश) में भारी मात्रा में 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग के जाली नोटों का पता लगने और जब्ती करने के संदर्भ में समिति ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग/ संगठन जाली भारतीय करेंसी नोटों के संचलन से संबंधित स्थिति की मानीटरिंग कर रहे हैं। इसलिए, प्रबंधन और नियंत्रण की बहुतायत से बचने की दृष्टि से समिति सरकार से अपेक्षा करेगी कि वह एक नोडल ग्रुप गठित करे जिसमें संबंधित एजेंसियों/विभागों से वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि शामिल हों और वे भारतीय रिजर्व बैंक के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करें।**	चूंकि राज्य पुलिस, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) आदि जैसी जांच एजेंसियां केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के समग्र पर्यवेक्षणाधीन एक नोडल समूह ज्यादा प्रभावी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, जाली करेंसी नोटों के संकट से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव और गृह सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर बैठकें आयोजित की गयी हैं और जाली करेंसी नोटों को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों/मंत्रालयों द्वारा प्रत्युपाय किए जा रहे हैं।	नहीं	दूसरे ग्रुप की स्थापना से प्रयासों की आवृत्ति होगी।
3.	74	**समिति यह जानकर चौंक गयी है कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दिए गए निषेधादेशों से यह संदेह उत्पन्न हुआ कि जाली भारतीय मुद्रा नोट सीमापार**	केन्द्र सरकार का गृह मंत्रालय अन्य संस्थाओं और एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना बोर्ड, एनसीआरबी, आईबी और रॉ की सहायता से इस बारे में जांच पड़ताल करेगा।	हां	जांच रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्ति
		से आए और अलग-अलग मार्गों/चैनलों से देश में इसकी तस्करी हुई। समिति चाहती है कि सरकार को इस मुद्दे के, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव सहित, सभी पहलुओं की एक व्यापक जांच करानी चाहिए ।			
4.	**75**	**प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए अधिकांश जाली नोट 1996 तथा 2000 श्रृंखला के हैं । समिति चाहती है कि यदि नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की व्यवस्था को भंग कर दिया गया है तो भारतीय रिजर्व बैंक को 1000 रुपये मूल्यवर्ग और 2000 श्रृंखला के नोटों को चरणबद्ध तरीके से संचलन से हटा लेने के बारे में विचार करना चाहिए ।**	भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह सही समय पर 1000 रू0 मूल्यवर्ग के 2000 की श्रृंखला वाले नोटों को वापस लेने पर विचार करेगा ।	हां	
5.	**76**	**भारतीय स्टेट बैंक की डुमरियागंज शाखा से पकड़े गए जाली नोटों का अनुपात बहुत ज्यादा है। समिति आशा करती है कि इस मामले में शुरू की गई जांच शीघ्र ही पूरी हो जाएगी और समिति को इसके निष्कर्ष और इसके बाद की गई अनुवर्ती कार्रवाई से अवगत कराया जाए ।**	भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने मुद्रा प्रबंधन की पूरी स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहले ही एक उच्चस्तरीय समूह गठित किया है । समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की जांच के अधीन है।	हां	रिपोर्ट अगस्त, 2009 के दूसरे सप्ताह में ही उपलब्ध हुई है।
6.	**77**	**भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रवर्तन संबंधी प्रयासों को समस्या की गंभीरता के अनुसार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और करेंसी चेस्टों, विशेषकर अधिक जोखिम वाले चेस्टों तथा सीमा और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित चेस्टों के संबंध में निगरानी और जांच तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।**	भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समिति के सुझावों पर तिजोरियों विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित तिजोरियों के निरीक्षण की बारम्बारता और तीव्रता बढ़ा दी गई है । आरबीआई ने आगे सूचित किया है कि तिजोरियों के उनके जोखिम प्रोफाइल पर आधारित निरीक्षण के लिए गुणवत्ता जांचों को यथा समय शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।	हां	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्ति
7.	78	**भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली में वापस आ रहे फटे पुराने नोटों की संख्या और वहां से जारी किए जा रहे नए नोटों की संख्या के बीच काफी अंतर है जबकि इसमें मुख्यतया समानता होनी चाहिए। समिति चाहती है कि सरकार मामले की गंभीरता से जांच करे और उसे इस संबंध में किए गए उपचारात्मक उपायों से अवगत कराए।**	भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आर्थिक विकास की मांग को पूरा करने के कारण और इस कारण कि बैंक नोटों की औसत मियाद एक वर्ष से अधिक होती है, जारी किए गए नोटों की संख्या नष्ट किए गए नोटों की संख्या से हमेशा अधिक रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि सभी तिजोरियां जाली नोटों का पता लगाने वाली नोट छंटाई मशीनों से युक्त हैं ।	भारतीय रिजर्व बैंक के उत्तर को देखते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।	
8.	79	**यह आवश्यक है कि वर्तमान दण्ड प्रावधान को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए जिससे निर्दोष व्यक्ति को बचाया जा सके और उस पर अपने आप को निर्दोष साबित करने का भार न डाला जा सके । समिति का यह मत है कि बिना जानकारी के जाली मुद्रा रखने वाले आम आदमी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, जाली नोट को पहचानने के लिए आम आदमी को शिक्षित किए जाने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए ।**	गृह मंत्रालय, समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कानून में संशोधन करने की जांच कर रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह बैंक नोट की मौलिक और मान्य विशेषताओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार अभियान संचालित कर रहा है ।	हां	
9.	80	**देश में एफआईसीएन की काफी बड़े स्तर पर तस्करी के मद्देनजर समिति यह चाहती है कि सरकार इस संबंध में जांच कराए कि क्या आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा निष्पादित विशेष समझौतों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है ।**	बैंक नोटों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विशेष समझौतों का उल्लंघन होने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।	हां	
10.	81	**जहां तक सिक्योरिटी पेपर/मशीनरी के उत्पादन की स्वदेशी प्रक्रिया का संबंध है, समिति यह जानकर अप्रसन्न है कि कई वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी संयुक्त उद्यम पेपर मिल को स्थापित करने के निर्णय पर कार्रवाई नहीं की गई है।**	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्का निर्माण निगम लि0 (एसपीएमसीआईएल) और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा0लि0 (बीआरबीएनएमपीएल) के बीच 50:50 की इक्विटी धारिता के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से एक नया कागज कारखाना स्थापित करने हेतु कार्रवाई शुरू हो चुकी है।		

Annex-I

Statement showing Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the **73rd Report of the Standing Committee on Finance on Demands for grants 2008-09** of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure & Disinvestment) **presented to Lok Sabha on 18th December, 2008/laid in Rajya Sabha on 18th December, 2008**

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	7	**The Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) have explained that budget allocation under "Indian Development Economic assistance Scheme" (IDEAS) very often is not utilized satisfactorily due to unforeseen circumstances. It is observed that budgetary allocation for the activities under the IDEAS is to meet international obligation and to honour those commitments. It is not clear as to what were the unforeseen circumstances, which led to under-utilisation of funds meant for meeting the international commitments. The Committee would await details in this regard.**	The "Indian Development Economic Assistance Scheme" (IDEAS) attempts to promote India's strategic economic interests abroad. Following interventions are intended to form the core of activities under IDEAS: (i) Writing off past debts of HIPCs (Heavily Indebted Poor Countries); (ii) Provide concessional Lines of Credit (LoCs) through Lending Agencies; (iii) Working with other Donors, Government and Multilateral Funding Institutions (MFIs); (iv) Creation of Regional & Country Strategies; (v) Providing assistance for Project Preparation; (vi) Project Training. However, as the scheme has so far been implemented in respect of GOI supported Lines of Credit to foreign countries only [item (ii) above], and has not yet been fully operationalized, the amount allocated in the Budget could not be utilized to the full extent.	Details furnished as desired by the Committee	
2	8	**The Committee would like to know the current status of the Viability Gap Funding and the extent of utilization of the budget allocations for the scheme during 2007-08. The Committee reiterate that corrective steps should be taken to ensure that budget estimates are realistic and on sound basis.**	The Viability Gap Funding (VGF) scheme is an enabling scheme to make the Public Private Partnership project commercially viable. Viability Gap funding is disbursed as equity support to the project. To safeguard the public funds being invested in a PPP projects, the funds are released, in proportion to the disbursal of loan by the Lead Financial Institution after financial closure of the project and after the private sector equity was completely expended on the project. The Budget Estimates were formulated based on the approved projects where 'in principle' approval was granted. However, since the scheme was new, the sponsoring authorities did not	It is a statement of facts for explanation only	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			have any prior experience in implementing the scheme. They were also unfamiliar with implementation of projects in the PPP framework. Hence, inspite of grant of 'in-principle' approval by DEA, there were delay in completion of the bidding process by the Project authorities. Later the projects were reviewed and accordingly the Revised Estimates were reduced. During 2007-08, provisions under the Scheme were made for projects which were in an advanced stage of bidding and in consultation with the Sponsoring Authorities regarding the likely Viability Gap Funding requirement. However, on completion of the bidding process, six projects received 'negative grant/revenue share' and Viability Gap Funding was not required for those projects. Accordingly, the provisions were revised at Revised Estimates Stage. The disbursement of Viability Gap Funding are as under : *(in crores of Rupees)* **Budget Estimates / Revised Estimates / Disbursement** **FY 2007-08: 100.00 / 23.00 / 23.00**		
3	10	**Display of information in the 'Budget at a Glance' does not set right the deficiencies in the figures of fiscal and revenue deficits shown in the budget. The Committee feel that the Finance Commission which is concerned with the question of devolution of finances between the Union and the States has nothing to do with how deficits in the Union Budget should be reflected. The Committee, therefore, stress that as promised by the Finance Secretary, and in line with the Committee's recommendation, action should be taken, without any further delay, to reflect the fiscal and revenue deficits appropriately**	The existing method of calculating the Revenue Deficit and Fiscal Deficit does not take into account the off-budget items such as issue of bonds/securities to Oil Marketing Companies, Fertilizer Companies, etc. on account of subsidies on petrol, oil, fertilizers, etc. However, the issue of bringing the liabilities on account of oil, food and fertilizer bonds into the financial accounting has been referred to the Thirteenth Finance Commission as an additional Term of Reference stating that- *"Having regard to the need to bring the liabilities of the Central Government on account of oil, food and fertilizer bonds into the fiscal accounting, and the impact of various other obligations of the Central Government on the deficit targets, the Commission may review the roadmap for fiscal adjustments and suggest a suitable revised roadmap with a view to maintaining the gains of fiscal consolidation through 2010-2015."*	Decision in this regard is pending, awaiting the recommendations of the Thirteenth Finance Commission and further processing by the Government for suitable corrective measures on the subject.	The Standing Committee will be apprised of the action taken by the Government on receipt of the recommen-dations from the 13th Finance Commission.

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		in the Budget taking into account the securities issued in lieu of the subsidies.	Since the proposal for reckoning the bonds/securities as part of revenue and fiscal deficits will require considerable fiscal adjustments and the subject matter has already been referred to the Thirteenth Finance Commission, the Standing Committee on Finance has been requested to consider according time till the Recommendations of the Thirteenth Finance Commission are received and processed by the Government for suitable corrective measures on this subject.		
4	13	**The Department of Economic Affairs have not bothered to ascertain from Department of Public Enterprises whether the recommended review has been undertaken and if so, what was the outcome. These are matters on which the Department ought to take suo-motu action and be pro-active to apprise the Committee of the developments within two months. As Public Sector Undertakings are subjected to scrutiny of C&AG, CVC, CBI and also Parliamentary Committees, the concept of independent directors, their need, role, competence and professionalism need to be defined.**	The review of the existing procedure governing the appointment of independent directors has been undertaken by Department of Public Enterprises. As a result, the proposals submitted by the Administrative Ministries / Departments are expeditiously considered by the Search Committee. A note for modification of the guidelines for appointment of independent directors on the boards of CPSEs has been formulated and is under consideration of DPE since 24.06.2008. The status of appointment of non-official directors on boards of NTPC, NALCO, GAIL, IOC and ONGC are as follows:	Yes	

Status of appoint of non-official Directors on the Boards of NTPC, NALCO, GAIL and ONGC

Name of CPSE	Number of Non-official Directors Required	Numbers of Non-official Directors in position	Remarks
NTPC	9	9	-
NALCO	8	8	-
GAIL	7	5	Proposal from Administrative Ministry awaited by DPEfor remaining 2 Vacancies

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Recommendation/ Para No.</th><th>Recommendation</th><th>Action Taken by the Government</th><th>Whether accepted or not by the government</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Name of CPSE</th><th>Number of Non-official Directors Required</th><th>Numbers of Non-official Directors in position</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>IOC</td><td>10</td><td>6</td><td>2 names recom-mended by Search Committee on 26.2.2009. Proposal from Administrative Ministry awaited by DPE for remaining 2 vacancies</td></tr>
<tr><td>ONGC</td><td>9</td><td>4</td><td>Proposal from Administrative Ministry awaited by DPE for remaining 5 vacancies</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>16</td><td>The Committee are distressed to note that the shortfall in agricultural lending target was as much as over Rs. 21,818 crore during 2007-08. There is nothing in the reply to indicate whether any effective mechanism has been envisaged to ensure that the targeted percentage of credit flows to agriculture and priority sector. The corpus of the four additional funds proposed to be created works out to just Rs. 10,200 crore which is less than half of the shortfall in agricultural lending. Even going by the assertion of the Ministry of Finance that the banks would be required to deposit the whole amount of shortfall in priority sector credit in</td><td>As per the data on priority sector advances, as on the last reporting Friday of March 2008, submitted by all Scheduled commercial Banks, the total shortfall of domestic Scheduled commercial Banks on account of non-achievement of overall priority sector lending target [40% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or credit equivalent amount of Off-Balance Sheet Exposure] is Rs. 718.28 crore and the shortfall on account of non-achievement of agricultural lending target (18% of ANBC), after netting of priority sector shortfall, is Rs. 21,818.27 crore. Similarly, the shortfall of foreign banks in achievement of priority sector lending target/sub-targets as on the last reporting Friday of March 2008 works out to around Rs. 120.16 crore. Hence, the total shortfall of the Scheduled Commercial Banks comes to Rs. 22,656.71 crore.
In view of the total shortfall of all Scheduled Commercial Banks (SCBs) at around Rs.22,600 crore, the Government has</td><td>Yes</td><td>Necessary action has already been taken.</td></tr>
</table>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		these funds, there will be over Rs. 12,456 crore left uncovered. It is also not clear whether the proposed funds have already been created and if not, how soon they will be set up. Inadequate bank credit being one of the major reasons for the slow and tardy agriculture growth, the Committee, once again, reiterate the need to evolve an effective mechanism to ensure that the targeted percentage of credit is lent to agriculture and priority sector.	constituted four Funds from resources of Scheduled commercial Banks to the extent that they fall short of their obligation to lend to the priority sector. These four Funds are Short Term Cooperative Rural Credit (STCRC) Fund with an initial corpus of Rs. 5,000 crore with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Micro Small and Medium Enterprises (MSME) Fund with Rs. 4,600 crore (Rs.3600 crore Refinance Fund and Rs. 1000 crore Risk Capital Fund) with Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and Rural Housing Development Fund (RHDF) with Rs. 2,000 crore with National Housing Bank (NHB). These Funds have been constituted besides the corpuses of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) of Rs. 14,000 crore and Rs. 4,000 crore towards rural roads component of Bharat Nirman i.e. a separate window under RIDF. As such, altogether Rs. 29,600 crore are to be drawn from the amount of shortfall in Priority Sector/Agriculture Sector lending targets of these banks for the year 2008-09 while the actual shortfall under this head is Rs. 22,656.71 crore only. The Government has intended that this shortfall in the allocation made for RIDF, MSME (Refinance) Fund, MSME (Risk Capital) Fund and RHDF may be made good by allocating the additional amount from shortfall in Priority Sector/Agriculture Sector lending targets of banks in the year 2008-09. Hence, there is no unutilized amount of shortfall under Priority /Agriculture lending targets of SCBs for the year 2008-09. On the issue of inadequate credit flow to agriculture, it is informed that on 18th June, 2004, the Government announced a package for doubling the flow of credit to agriculture and allied activities in a period of three years commencing from 2004-05 over the amount disbursed during the year 2003-04. This goal was achieved in two years. The Agriculture credit disbursement increased nearly three times from Rs. 86,981 crore in 2003-04 to Rs. 2,43,570 crore in 2007-08. The target for agriculture credit flow for the 2008-09 was Rs. 2,80,000 crore by all banks. Against this, a total of Rs. 2,87,149 crore was disbursed during the year (figures provisional).		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
6	19	**The Committee regret to note that no concrete steps have been taken on their recommendation for extending the One Time Settlement (OTS) Scheme to support unviable/sick medium, small and tiny enterprises for a further period of five years. For enabling these entities to compete successfully in the changed circumstances, the Committee feel that it is essential to extend the facility of OTS for a further period of five years. The Committee, therefore, reiterate their earlier recommendations. The Committee would also like to be apprised of the recommendations made by the Dr. K.C. Chakraborty Committee appointed by the RBI to study the reasons for sickness of SSI/SME units and the action taken thereon by the Government/ Reserve Bank.**	The Chakraborty Committee had made several recommendations relating to rehabilitation of potentially viable sick units in the MSME Sector. After examination of these recommendations, RBI forwarded the same to all stake holders including Scheduled commercial Banks for taking appropriate action. The Department of Financial Services has also asked all the stakeholders viz. the concerned Ministries, Chief Secretaries and Administrators of all the State Governments and Union Territories and IBA to take follow up action on the recommendations made in the Chakraborty Committee Report concerning them. As regards One Time Settlement Scheme, which is one of the recommendations of the Committee, the matter was taken up with RBI. RBI has informed that any policy on settlement of non-performing loans is essentially a management function to be exercised by individual banks, based on their commercial judgement. RBI has, however, emphasized importance of the need for banks to have a transparent policy in this regard for the MSE sector. Accordingly, RBI has advised all Scheduled commercial Banks vide circular No.RPCD. SME & NFS.BC.102/ 06.04.01/2008-09, dated 4th May, 2009, to put in place a non-discretionary OTS policy duly approved by their Board of Directors, for the MSE borrowers. RBI is of the opinion that this would enable the Bank officials to make quick and judicious decisions on OTS.	Government has taken appropriate action on the recommendations of the Chakraborty Committee as given in column 4.	
7	22	**It is observed from the reply of the Ministry of Finance that around 27,000 branches of banks are still left out of the ambit of RTGS/NEFT facility due to absence of infrastructure like power, communication, ineligibility of some branches to participate in RTGS/NEFT etc. Absence of the facility of RTGS/ NEFT in all branches of banks leads to problems in synchronization in the**	The Reserve Bank of India has built the infrastructure for faster movement of funds. The Real Time Gross Settlement (RTGS) system provides the platform for systemically important payments while the National Electronic Fund Transfer (NEFT) System provides the platform for retail transfers. Banks keep on adding branches to the RTGS/NEFT network when infrastructure at their end is ready and when the business requirements of the branches demand RTGS/NEFT connectivity. The Reserve Bank of India has not put any restriction on addition of branches by banks. Instead, the RBI has always persuaded	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		settlement system of stock exchanges and banks which is stated to be a major factor in precipitating crisis, at times of volatility in the stock market. The Committee would, therefore, like to know in this context, how many branches of banks do not have requisite infrastructure and among the rest, how many are ineligible to participate in RTGS/ NEFT and for what reasons. The Committee also desire to be apprised of the time frame for extending the RTGS/ NEFT facility in respect of those branches which are eligible and are with adequate infrastructure.	the banks to extend the facility of RTGS/NEFT to all their branches and to all customers. As a result, more than 58,000 bank branches have become RTGS/NEFT enabled as on August, 2009. The 58,000 bank branches presently connected to the network are scattered all over the country. More than 1000 important centres are now covered under the national payments infrastructure. All such centres where capital market transactions are active, now have both RTGS / NEFT connectivity. Around 10,500 bank branches not connected to the network so far mostly belong to remote and far-flung places and the financial transactions originating from such places may not have systemic impact on the financial markets. Thus the volatility of the stock market may not have any direct correlation with non-connectivity of such remote branches of the RTGS/NEFT. RBI issued a mandate in June 2008, advising its regulated entities to route all transactions of Rs.10 lakh and above in RBI regulated markets to settle through RTGS/NEFT. SEBI and IRDA were approached at Deputy Governor level to initiate similar steps in the markets regulated by them. A mandate of such nature would definitely address systemic issues. The expansion of RTGS/NEFT has grown significantly over time. Compared to July 2008 more than 9,500 bank branches have been added to the National Payments Networks. However, the addition of branches to the payments networks by the banks is incumbent upon the extension of Core Banking Solution (CBS) by a bank. Some banks have completed implementation of CBS and therefore all branches of such banks are now eligible for RTGS/NEFT transactions. Some banks are in the process of implementing Core Banking Solution and as soon as the process is complete, all bank branches will be RTGS/NEFT enabled. It is further observed that out of around 58,000 bank branches of Public Sector Banks, at present 47,500 bank branches are RTGS/ NEFT enabled. As on February 2009, the same figure was 43,000. Therefore, during last 6 months, around 4,500 branches have been added in RTGS/NEFT network. Bank-wise total		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			number of branches vis-à-vis RTGS/NEFT enabled branches of PSU banks are **annexed**. Till recently only scheduled banks were allowed to join RTGS/NEFT. RBI has now set out the new Access Criteria to allow all banks meeting certain financial parameters to join RTGS/NEFT. Thus, all banks whether Scheduled or Non-scheduled, licensed or un-licensed, big or small, State Co-operative or Urban Co-operative, Local Area bank or a Regional Rural Bank are now eligible to join RTGS/NEFT. RBI has also issued a circular advising all RTGS member banks to :- a) make their entire branch network RTGS enabled b) explore the possibility of giving RTGS facility to the customers of RRBs sponsored by them. It may be noted here that due to RBI's initiatives, quite a good number of banks have started extending CBS facility to the RRBs sponsored by them. RBI is quite hopeful that the RRBs will soon be covered under National Payments Networks. With a view to creating awareness amongst the end users as well as the banks, RBI had brought out leaflets on RTGS and NEFT and circulated them widely and also placed them in its website for public awareness. RBI has also been holding quarterly interaction with Executive Directors of PSU banks.		

ANNEXURE to Action Taken Report to Para No.22

BANK-WISE TOTAL NUMBER OF BRANCHES AND RTGS/NEFT ENABLED BRANCHES IN PUBLIC SECTOR BANKS

Sl. No.	Name of the Bank	RTGS / NEFT Enabled branches	Total Branches
1.	Allahabad Bank	887	2299
2.	Andhra Bank	804	1460
3.	Bank of Baroda	2170	3159
4.	Bank of India	3018	3060
5.	Bank of Maharashtra	707	1459
6.	Canara Bank	2827	2897
7.	Central Bank of India	1345	3563
8.	Corporation Bank	1063	1063
9.	Dena Bank	855	1273
10.	Indian Bank	1607	1783
11.	Indian Overseas Bank	1909	2038
12.	Oriental Bank of Commerce	1485	1485
13.	Punjab & Sind Bank	205	918
14.	Punjab National Bank	4482	4603
15.	State Bank of Bikaner & Jaipur	855	921
16.	State Bank of Hyderabad	1050	1050
17.	State Bank of India	11905	12371
18.	State Bank of Indore	475	475
19.	State Bank of Mysore	685	685
20.	State Bank of Patiala	847	847
21.	State Bank of Travancore	736	748
22.	Syndicate Bank	2062	2386
23.	UCO Bank	690	2161
24.	Union Bank of India	2782	2782
25.	United Bank of India	1042	1531
26.	Vijaya Bank	1156	1156
	Total	**47649**	**58173**

Annex-II

Statement showing Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the **79th Report of the Standing Committee on finance on 'Counterfeit Currency Notes in Circulation' presented to Lok Sabha on 18th December, 2008/ laid in Rajya Sabha on 18th December, 2008**

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	72	**Taking note of the gravity and magnitude of the problem of counterfeit currency notes in circulation, the Committee would urge the Government to come to grip with the reality soon and take concerted action to counter this growing menace.**	The government would like to assure the Committee that all possible action would be taken to counter this growing menace.	Yes	
2	73	**In the context of the detection and seizer of a large quantity of forged notes of Rs.500 and Rs.1000 denomination at the Domariaganj Branch (UP).The Committee took note of the fact that various Ministries / Departments / Organisations are monitoring the situation relating to circulation of Fake Indian Currency notes. Therefore, with a view to avoid multiplicity of management and control, the Committee would like the Government to constitute a nodal group, comprising senior level representatives from the concerned agencies/ Departments and functioning under the overall supervision of the RBI**	Since the investigating agencies such as State Police, IB, CBI, DRI etc. are controlled by the central and State govts. A nodal group under the overall supervision of the RBI may not be very effective. Further, at the apex level, meetings under the chairmanship of Cabinet Secretary and Home Secretary are taken on enhanced cooperation to tackle menace of Fake Indian currency Notes (FICN) and counter measures being taken against FICNs by various agencies/Ministeries.	No	Setting up of another group would amount to duplication of efforts.
3	74	**The Committee are alarmed to note that the interdictions made by enforcement agencies raised the suspicion that the Fake Indian Currency notes originated**	The Central Government in the Ministry of Home Affairs with the assistance of other institutions and agencies like CBI, Directorate of Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Board, NCRB, IB and RAW will get this enquiry conducted.	Yes	The inquiry report has not yet become available.

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		from across the borders and were smuggled into the country through diverse routes / channels. The committee desires that the Government should conduct a comprehensive inquiry into all aspects of issue including its ramifications on national security.			
4	**75**	**Most of the Counterfeit notes seized by enforcement agencies pertain to 1996 and 2000 series. The Committee desires that RBI should consider phased withdrawal from circulation of currency of Rs.1000 denomination as well as of the 2000 series, if its security features are found to have been successfully breached .**	RBI has informed that it would consider withdrawal of Rs. 1000 denomination 2000 series notes at an appropriate time.	Yes	
5	**76**	**Proportion of counterfeit notes detected was very high at Domariaganj branch of the SBI. The Committee hopes that the inquiry instituted in this case will be concluded early and the committee apprised of the outcome and the follow up action taken thereafter.**	RBI has informed that it has already constituted a High Level Group to review the whole gamut of currency management. The Group has since submitted its Report and is under examination of RBI for implementation.	Yes	The Report became available only during 2nd week of August, 2009.
6	**77**	**RBI must augment their enforcement efforts in proportion to the magnitude of the problem and strengthen monitoring and inspection systems in regard to Currency Chests, particularly, the high risk chests and those in border and sensitive areas.**	The RBI has informed that on the suggestions of the committee, the inspection of chests especially in sensitive areas has been stepped up in terms of frequency and intensity. RBI has further informed that introduction of quality checks for inspection of currency chests based on their risk profile is proposed to be introduced in due course.	Yes	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
7	78	**There is a lot of difference between the number of soiled notes that are coming back to the RBI system and the number of new notes that are being issued, though there should be broad equivalence in this. The Committee would like the Government to seriously look into the matter and apprise the Committee about the corrective action taken.**	The RBI has informed that the number of notes supplied has always to be more than the number of notes destroyed to meet the demand of the economic growth and also because the average life of bank notes being more than one year. RBI has further informed that all currency chests have been equipped with Note Sorting Machines (NSMs) to detect counterfeit notes.	No corrective action required in view of the reply of the RBI.	
8	79	**It is imperative that the existing penal provision should be modified in a way that will protect the innocent common man and not burden him with the onus of proving his innocence. The Committee are of the view that ordinary people unknowingly in possession of counterfeit currency should not be penalized. Further, extensive awareness campaigns should be conducted to educate common man to recognize counterfeit note.**	The Ministry of Home Affairs is examining the modification in the law as recommended by the committee. The RBI has informed that they are conducting an extensive publicity campaign jointly through electronic and print media for creating awareness about the basic and recognizable features of a bank note.	Yes	
9	80	**In view of the large smuggling of FICNs into the country, the Committee desire that the Government must investigate whether any breach of the exclusivity agreement executed by the suppliers is actually occurring.**	No instance of breach of exclusivity agreement by the suppliers has come to the notice of the Govt.	Yes	
10	81	**As regards the indigenization process of the production of security paper/ machinery, the Committee are dismayed that even after lapse of several years, the decision to set up a Joint Venture Paper Mill has not been operationalised so far.**	The action to set up a new paper mill has been started through a Joint Venture between the Security Printing & Minting Corporation of India Ltd. (SPMCIL) and Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd. (BRBNMPL) with 50:50 equity holdings.	Yes	